कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in, nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1004 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 23 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराडी वैण्ड से वेलवाल गांव तक मोटर मार्ग व 18 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित निर्माण 0.972 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव सं0- FP/UK/ROAD/15129/2015)

संदर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/202/2016/एफ0सी0/1216 दिनांक 10.09.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 637/12–1(2) दिनांक 04.09.2024 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्रस0	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं वदली जाएगी।	**शर्त सं0–1** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं वदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के वाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	**शर्त सं0–2** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिग्रहण कर लिया गया है।
3	**प्रतिकूल वनीकरणः– (क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1944 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.944 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से वचें। राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं को–आर्डिनेट अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	**शर्त सं0–3 (क)** के अनुपालन में 1944 पौधो का रोपण हेतु दस वर्षो तक रख–रखाव सहित @CA rate for 1.944 ha area का वृक्षारोपण योजना रू0 9,59,694.00 (नौ लाख उन्सठ हजार छः सौ चौरानव्वे मात्र) व क्षेत्र का नाम एवं को–ऑडिनेट संलग्न प्रेषित है तथा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जाने का वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा संशोधित धनराशि को जमा की जायेगी।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वीनकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धरित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान	**शर्त सं0–4** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि–6,55,486.00 (छः लाख पचपन हजार चार सौ छियासी रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन वैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष शर्ते प्रस्तावक विभाग को मान्य है।

	शामिल किए जा सकते हैं।	
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **(क)** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक–18. 09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02. 2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.972 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विषेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**<u>शुद्ध वर्तमान मूल्य</u>** **शर्त सं0–5 (क)** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की धनराशि रु0–6,38,604.00 मात्र (छः लाख अड़तीस हजार छः सौ चार रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **शर्त सं0–5 (ख)** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रतयावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 166 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	**शर्त सं0–6** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि 166 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
7	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	**शर्त सं0–7** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पार्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाऐंगे।	**शर्त सं0–8** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त सं0–9** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों	**शर्त सं0–11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा

	के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	अवगत कराया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	**शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्ररताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	**शर्त सं0–13** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	**शर्त सं0–14** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी भी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	**शर्त सं0–15** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	**शर्त सं0–16** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	**शर्त सं0–17** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि लो0नि0वि0 के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	**शर्त सं0–18** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	**शर्त सं0–19** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC ,दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	**शर्त सं0–20** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल सं0–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत

		है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**शर्त सं0–21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निरथारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त सं0–22** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–23** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्वन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त सं0–24** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1004 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

203

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 637 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 04/09/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग व 18 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित निर्माण 0.972 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0– 15129 / 2015।

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 202 / 2016 / एफ0सी0 / 1216 दिनांक 10.09.2020।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 778 / 12–1 दिनांक 22.08.2024 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि। (तीन प्रतियाँ)

भवदीय

(डॉ0 कोको रोसे)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

देहरादून 959
12-1
13-9-24

कुमारी अल्मोड़ा
आ0 का0 के0।

पृ0 प0 आ0 6/दे0
9-9-24

203

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 778 / 12-1 दिनांक, 22/08/ 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय : जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराडी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग व 18 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित निर्माण 0.972 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 -FP/UK/ROAD/ 15129/2015)

सन्दर्भ : भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/202/2016/एफ0सी0/1216 दिनांक 10.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में जमराडी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.972है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति के कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोडा ने अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसके क्रम में निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है।

क्रस0	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं0–1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त सं0–2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिग्रहण कर लिया गया है।
3	प्रतिकूल वनीकरणः– (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1944 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.944 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं को–आर्डिनेट अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	शर्त सं0–3 (क) के अनुपालन में 1944 पौधो का रोपण हेतु दस वर्षो तक रख–रखाव सहित @CA rate for 1.944 ha area का वृक्षारोपण योजना रू0 959694.00 (नौ लाख उन्सठ हजार छः सौ चौरानब्बे मात्र) व क्षेत्र का नाम एवं को–ऑडिनेट संलग्न प्रेषित है तथा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा संशोधित धनराशि को जमा की जायेगी।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वीनकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा।	शर्त सं0–4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि–6,55,486.00 (छः लाख पचपन हजार चार सौ छियासी रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष शर्ते प्रस्तावक विभाग को मान्य है।

	इस योजना में भविष्य में निर्धरित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	
	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक–18. 09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02. 2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.972 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विषेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **शर्त सं0–5 (क)** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की धनराशि रु0–6,38,604.00 मात्र (छः लाख अड़तीस हजार छः सौ चार रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **शर्त सं0–5 (ख)** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रतयावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 166 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विमाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	**शर्त सं0–6** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि 166 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
7	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	**शर्त सं0–7** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पार्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाऐंगे।	**शर्त सं0–8** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त सं0–9** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों	**शर्त सं0–11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण

	के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	**शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।
	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	**शर्त सं0–13** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	**शर्त सं0–14** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी भी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	**शर्त सं0–15** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	**शर्त सं0–16** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	**शर्त सं0–17** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि लो0नि0वि0 के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	**शर्त सं0–18** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	**शर्त सं0–19** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की

		जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC ,दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	**शर्त सं0–20** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल सं0–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**शर्त सं0–21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्थारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त सं0–22** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–23** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त सं0–24** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा किजीएगा।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोडा।

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0....15129/2015.

में सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या...3...(क).....के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र में जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल/सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी कनारीछीना वन क्षेत्र, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक – 10 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा , 09·07 ,2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गॉव तक मोटर मार्ग व 18 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सहित निर्माण 0.972 हैक्ट वन भूमी का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 22/12–1 दिनांक 02.07.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के परिपालन में वांछित सूचना (उक्त क्षेत्र हेतु 1.944 है0, स्थल – चर्चाली बीट अन्तर्गत पनुवानौला क0सं0 39 में) प्राकलन सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (प्राकलन मूल्य – 9,59,694=00)

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न :– उक्तानुसार 1 (एक)

स्थल के कोडिनेट निम्न प्रकार है।

1. 29°39‘5” N, 79°53‘39” E
2. 29°39‘6” N, 79°53‘38” E
3. 29°39‘6” N, 79°53‘36” E
4. 29°39‘8” N, 79°53‘35” E
5. 29°39‘9” N, 79°53‘33” E
6. 29°39‘10” N, 79°53‘34” E
7. 29°39‘10” N, 79°53‘35” E
8. 29°39‘10” N, 79°53‘36” E
9. 29°39‘8” N, 79°53‘38” E

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
कनारीछीना राजि

प्राकलन :— क्षतिपूरक वृक्षारोपण

का नाम :— कनारीछीना वन क्षेत्र

ाग का नाम :— सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

ार्य का नाम :— क्षतिपूरक वृक्षारोपण — 1.944 हैक्टयर, (अल्मोड़ा जनपद स्थित जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गॉव तक मोटरमार्ग व 18.00 मी0 थल आर0सी0सी0 मोटर सेतु सहित निर्माण 0.972 हैक्ट वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के कम में 1.944 हैक्ट0 ॉ पौध रोपण क्षतिपूरक कार्य)

काय स्थल का नाम :— चर्चाली बीट, पूर्वी पुनवानौला क0सं0 39

क0सं0	कार्यो का विवरण	सं0	लं0	चौ0	ऊँ0	मात्रा		दर प्रति	धनराशि	अभ्युक्ति
	—: प्रथम वर्ष :—									
1	सर्वे, सीमांकन एवं डिमाकेशन आदि कार्य	-	-	-	-	1.944	हैक्ट0	1188.00	2309.47	2-1-1-1
2	क्षेत्र की सफाई (अछांदित झाड़ियों का कटान) कार्य	-	-	-	-	1.944	हैक्ट0	969.00	1883.74	2-1-1-2
3	अग्रिम भूमि सृजन कार्य अन्तर्गत — (A) कुली दीवार नव निर्माण कार्य	1	374	0.45	1.15	193.545	घ0मी0	523.00	101224.04	2-1-1-6
4	मृदा एवं जल संरक्षण आदि कार्य	आवश्यकतानुसार चैक डैम एवं चाल खाल निर्माण आदि कार्य					ल0सं0	ल0सं0	63596.70	-
5	गड्डा खुदान कार्य	1.944	0.30	0.30	0.45	1994	सं0	12.16	24247.04	2-1-1-5
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1.944	-	-	-	1.944	हैक्ट0	805	1564.92	2-1-1-7
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित)	1944+388				2332	पौध	13.4	31248.80	2-1-1-4
8	अन्य आकास्मिक व्यय (1.00)%	-	-	-	-	1.944	हैक्ट0	914.629	1778.04	2-1-1-11
9	कार्यालय / स्टेशन आदि पर व्ययवार (1.00)%	-	-	-	-	1.944	हैक्ट0	914.629	1778.04	2-1-1-13
								योग :—	229630.78	
	—: द्वितीय वर्ष :—									
1	गड्डा भरान कार्य	1944	0.3	0.3	0.45	1944	गड्डा	1.91	3713.04	2-1-2-1
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) (20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित)	-	-	-	-	2332	पौध	1.90	4430.8	2-1-2-3
3	पौधों का ढुलान — (A) वाहन द्वारा 50 कि0मी0 अन्तर्गत	-	-	-	-	1944	पौध	9.35	18176.4	2-1-2-4-1
	(B) सरबोझ द्वारा 3 कि0मी0	-	-	-	-	1944	पौध	6.27	12188.88	2-1-2-4-7
4	पौधा रोपण एवं थावलाबंदी कार्य	1944	-	-	-	1944	पौध	3.42	6648.48	2-1-2-5
5	निराई गुड़ाई एवं मालचिंग आदि कार्य (2 बार)	1944*2				3888	पौध	1.26	4898.88	2-1-2-6
6	खाद एवं दवा का छिड़काव कार्य	1944	-	-	-	1944	पौध	0.35	680.40	2-1-2-8
7	प्रथम वर्ष में देख रेख व रख रखाव कार्य	01 श्रमिक 16 दिन				8 Month	प्रतिमाह	6080	72960.00	वि0द0
8	कार्यालय / स्टेशन आदि पर व्ययवार	1.944	-	-	-	1.944	हैक्ट0	941.62	1778.02	2-1-1-12
9	वृक्ष रोपण की सुरक्षा दीवार घेरबाड़ के बाहर 4:00 मी0 चौड़ी पटी में सफाई कार्य	1.944					हैक्ट0	245.00	1905.12	2-1-1-10
10	मूल्यांकन एवं अमिलेखीकरण कार्य	1.944					हैक्ट0	321.97	625.90	2-1-2-13
11	साईन बोर्ड (पैन्टिंग, राईटिंग एवं बोर्ड कीमत) 4x3	1					सं0	5000.00	5000.00	
12	आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	ल0सं0	-	5378.00	-
								योग :—	138383.92	

Range Officer
Kananichina Range
Civil & Soyam Division, Almora

	—: तृतीय वर्ष :—									
	(A) तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1 श्रमिक				12 Month	सं०	6080.00	72960.00	वि०द०
	(B) आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	लं०सं०	ल०सं०	1000.00	वि०द०
								योग :—	73960.00	
	—: चतुर्थ वर्ष :—									
1	(A) चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1 श्रमिक				12 Month	सं०	6080.00	72960.00	वि०द०
	(B) आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	लं०सं०	ल०सं०	1000.00	वि०द०
								योग :—	73960.00	
	—: पंचम वर्ष :—									
1	(A) पंचम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1 श्रमिक				12 Month	सं०	6080.00	72960.00	वि०द०
	(B) आकस्मिक व्यय	-	- -	-	-	-	लं०सं०	ल०सं०	1000.00	वि०द०
								योग :—	73960.00	
	—: षष्ठम वर्ष :—									
1	(A) षष्ठम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1 श्रमिक				12 Month	सं०	6080.00	72960.00	वि०द०
	(B) आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	लं०सं०	ल०सं०	1000.00	वि०द०
								योग :—	73960.00	
	—: सप्तम वर्ष :—									
1	(A) सप्तम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1 श्रमिक				12 Month	सं०	6080.00	72960.00	वि०द०
	(B) आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	लं०सं०	ल०सं०	1000.00	वि०द०
								योग :—	73960.00	
	—: अष्ठम वर्ष :—									
1	(A) अष्ठम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1 श्रमिक				12 Month	सं०	6080.00	72960.00	वि०द०
	(B) आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	लं०सं०	ल०सं०	1000.00	वि०द०
								योग :—	73960.00	
	—: नवम वर्ष :—									
1	(A) नवम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1 श्रमिक				12 Month	सं०	6080.00	72960.00	वि०द०
	(B) आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	लं०सं०	ल०सं०	1000.00	वि०द०
								योग :—	73960.00	
	—: दसम वर्ष :—									
1	(A) दसम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1 श्रमिक				12 Month	सं०	6080.00	72960.00	वि०द०
	(B) आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	लं०सं०	ल०सं०	1000.00	वि०द०
								योग :—	73960.00	
								महायोग :—	**959694.70**	
								या :—	**959694.00**	

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

Range Officer
Kananichina Range
Civil & Soyam Division, Almora

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Payment Status
1	FP/UK/ROAD/151552/2022	ROAD1515522022852	61151552852	c/o Manan to Chandrapur Link Motor road	Road	1.08	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	04-9-2023	30-9-2023	Paid	Paid	Paid
2	FP/UK/ROAD/8837/2014	ROAD88372014795	6188370795	shaheed mohan singh motor road	Road	2.35	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	08-10-2015	04-3-2023	Paid	Paid	Paid
3	FP/UK/ROAD/120059/2021	ROAD1200592021881	61120059881	C/o Nirai to Auliya gaon, Lachhampur and Supakote Motor Road	Road	0.018	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	10-6-2021	04-10-2021	Paid	Paid	Paid
4	FP/UK/ROAD/15129/2015	ROAD151292015314	6115129314	Jamrani bend to belwal gaon motor road and 18 mtr span R.C.C Motor Bridge	Road	0.972	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	10-9-2020	30-9-2021	Paid	Paid	Paid
5	FP/UK/ROAD/9220/2015	ROAD92202015061	6192200061	Chitai Pant-Haridatt petshali Inter college motor road till Petshal	Road	2.43875	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	17-11-2020	16-3-2021	Paid	Paid	Paid
6	FP/UK/ROAD/46712/2020	ROAD467122020949	6146712949	C/o Sall Bhatkote to Sukna Salyudi Motor Road	Road	3.78	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	16-10-2020	12-1-2021	Paid	Paid	Paid
7	FP/UK/ROAD/38048/2019	ROAD380482019244	6138048244	C/o Naugaon to Kanarichhina Motor road distt almora	Road	1.377	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	30-9-2020	12-1-2021	Paid	Paid	Paid

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपिंत वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3, क व ख)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है उक्त बिन्दु में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा किया जाना है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–6,55,486.0 (छः लाख पचपन हजार चार सौ छियासी रुपया मात्र) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5 क)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु एन0पी0बी0 की धनराशि रु0–6,38,604.00 (छः लाख अड़तीस हजार छः सौ चार रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5 ख)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 141 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 7)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है उक्त बिन्दु में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 8)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है।

अमीन	**कनिष्ठ अभियन्ता**	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड,	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 9)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना हेतु एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग सहमत है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 10)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना हेतु संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने हेतु विभाग सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 11)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करने हेतु विभाग सहमत है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 12)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 13)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 14)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 15)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 16)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 18)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 19)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

अमीन
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 20)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि अधिरोपित किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा—निर्देश फाइल सं0—11—42/2017—एफ0सी0 दिनांक—29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 21)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 22)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 23)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 24)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना की अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा